Helpline **1064** | **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में आबकारी थाना का प्रहराधिकारी (पैट्रोलिंग ऑफिसर) एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर 4 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *31 अक्टूबर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पैट्रोलिंग ऑफिसर) आबकारी थाना, झालावाड़ एवं योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) आबकारी वृत्त, झालवाड़ को परिवादी से **4 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी आवंटित लाईसेंसशुदा शराब की दूकान को निर्बाध चलाने देने एवं कार्यवाही नहीं करने की एवज में हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पैट्रोलिंग ऑफिसर) आबकारी थाना, झालावाड़ द्वारा योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) आबकारी वृत्त, झालावाड़ के माध्यम से मासिक बन्धी के रूप में **प्रतिमाह 1500 रुपये** के हिसाब से पिछले 7 माह की कुल **10 हजार 500 रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी के अनुसार शिकायत से पूर्व ही आरोपियों द्वारा **3 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल किये जा चुके हैं तथा शेष **7 हजार 500 रुपये** के लिये दबाव बनाया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा** के सुपरवीजन में एसीबी की झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये हुकमसिंह पुत्र स्व. श्री गोवर्धन सिंह मीणा निवासी सावंतगढ़, थाना देवली, जिला टोंक हाल प्रहराधिकारी (पैट्रोलिंग ऑफिसर) आबकारी थाना, झालावाड़ एवं योगेश प्रजापति पुत्र श्री देवीशंकर निवासी सुभाष कॉलोनी के पीछे, मुरारी भवन के पास, झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) आबकारी वृत्त, झालवाड़ को परिवादी से **4 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।